न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री नाथूसिंह राठौड़ आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अ.अटल सेवा केन्द्र सिरोही

रा.प्रा.पत्र संख्या 34/2016

प्राथी	बनाम अप्रार्थीगण
शंकरलाल पुत्र केसाजी जाति माली आयु 55 वर्ष नि.नयावास, सिरोही तहसील व जिला सिरोही	1—पवनी देवी पत्नि भीमारामजी 2—लक्ष्मीदेवी पत्नि शान्तिलालजी सभी आयु व्यस्क जाति माली निवासी नवाखेडा तह.शिवगंज जिला सिरोही 3—स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

उपस्थित :—
1— श्री प्रकाश प्रजापत, वकील प्रार्थी की ओर से
2— तहसीलदार, सिरोही अप्रार्थी संख्या 3

रा.प्रा.पत्र अ.धा. 212 राज.काश्त.अधि.1955 के तहत
वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 30—6—2018

प्रार्थी ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.काश्त. अधि.1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तक वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 12—4—2016 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही प्रथम तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खाता नंबर 219 खसरा नंबर 152 रकबा 1.9200 हैक्टेयर किस्म बारानी I आई हुई है। वर्णित कृषि आराजी की खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त खातेदार के रूप मे दर्ज है जिसका समचित विवरण प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न जमाबंदी मे दर्ज है। वर्णित कृषि आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थी का 1/6 हक हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 का 5/6 हक हिस्सा स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 द्वारा खरीद किये गये हक हिस्से के पूर्व खातेदार आपस मे एक ही परिवार के सदस्यगण है इस प्रकार प्रार्थी की उक्त कृषि आराजी पुश्तैनी है तथा प्रार्थी का पेढीपत्रक निम्न प्रकार है:—

केसाजी पि. खुमाजी माली

स्व.ताराराम	प्रतापराम	स्व.हंसाजी	प्रेमाराम	चुन्नीलाल	शंकरलाल
1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

स्व.हंसाजी: फुलीबाई, देवाराम, धनराज, प्रकाश, मीठालाल उर्फ दौलतराम

स्व.ताराराम: चम्पा(पत्नि), भानाराम, लीला, रेखा, छोगाराम

उक्त वर्णित कृषि आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने प्रार्थी के अन्य सहखातेदार उनके भाई ताराराम, प्रतापराम, प्रेमाराम, चुन्नीलाल व स्व.हंसाजी के वारिसान से उनके 5/6 हक हिस्से को प्रार्थी की सहमति के बिना जरिये विक्रय विलेख खरीद की है। वर्णित कृषि आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य संयुक्त व अविभक्त है जिसका आज तक कोई विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी व प्रार्थनापत्र पद संख्या 4 मे वर्णित सके भाई पूर्व मे आपसी समझ से उक्त कृषि आराजी पर संयुक्त रूप से काश्त करते आं रहे थे एवं वादग्रस्त आराजी का संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Continue Page No 2

करते आ रहे थे, परन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा खरीद करने के बाद कुछ वर्षो तक तो शान्तिपूर्वक काश्त की परन्तु पिछले छः माह से आये दिन प्रार्थी के उक्त वादग्रस्त आराजी मे स्थित 1/6 हक हिस्से कब्जे काश्त मे दखल अंदाजी शुरू करने लगे तथा प्रार्थी के हक हिस्से मे बाधा उत्पन्न करने लगे है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 प्रार्थी के साथ आये दिन झगडा फसाद करने लगे है। जबकि प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त आराजी मे अपने बापदादाओं से प्राप्त पुश्तैनी संपति मे हक हिस्सा जिसकी मार्केट वैल्यू वर्तमान मे बढ जाने से अप्रार्थीगण के मन मे खोट आ गई है तथा प्रार्थी के 1/6 हक हिस्से कब्जे काश्त मे येनकेन प्रकारेण बाधा उत्पन्न कर हडपने पर उतारू है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार कृषक है एवं वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के मध्य संयुक्त व अविभक्त है इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है सुविधा का संतुलन भी रेकर्ड व मोके की यथास्थिति बनाये रखने मे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना फरमावें कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 एवं उनके नुमाईन्दे ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी के कब्जे काश्त हक हिस्से 1/6 मे दखलन्दाजी न करें व अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने व समस्त कृषि कार्य से बाधित न करें एवं विधिवत विभाजन कराये बगैर अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी मे उनके हक हिस्से के कब्जे काश्त मे किसी अन्य अजनबी क्रेता को विक्रय या हस्तान्तरण नही करें तथा ताफैसला वाद रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा आज ही जारी कराना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फोर्म नंबर 3 मे वर्णित सिरोही पटवार हल्का सिरोही प्रथम की जमाबबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर 219 खसरा नंबर 152 रकबा 1.9200 हेक्टेयर नक्शा किशतवार, विक्रय विलेख दिनांक 13–12–2011 की प्रति व विक्रय विलेख दिनांक 12–11–2010 की प्रति का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 12–4–2016 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । उक्त नोटिस तामिल होकर दिनांक 11–3–2017 को इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये उक्त नोटिस तामिली के पश्चात दिनांक 19–2–2018 को को सुनवाई पेशी के दिन इस न्यायालय मे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने जरिये वकील जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध कराई गई ।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने जवाब मे कथन किया कि वादग्रस्त संपति प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक व दो के नाम से राजस्व अभिलेख मे संयुक्त रूप से अवश्य दर्ज है लेकिन वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी का कोई हिस्सा नही है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी मे 1/6 खातेदारी हक अधिकार का होने का कथन गलत व मनगढंत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने अपना हिस्सा श्री शान्तिलाल पुत्र श्री गणेषाजी माली निवासी नयाखेडा हाल सिरोही को दिनांक 12–10–2010 को विक्रय कर दिया था, उसके बाद सम्पर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर आराजी का कब्जा श्री शान्तिलाल को सुपुर्द कर दिया था । मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है तथा न ही वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी काबिल है। गलत तथ्यो के आधार पर प्राथनापत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किकये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अपना हिस्सा श्री शान्तिलाल पुत्र गणेशाजी माली निवासी नयाखेडा हाल सिरोही को दिनांक 12–10–2010 को विक्रय कर दिया था उसके बाद सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर आराजी का कबजा श्री शान्तिलाल को सुपुर्द कर दिया था । मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है तथा न ही वादग्रगस्त आराजी पर प्रार्थी काबिज है। प्रार्थी ने अपने भाईयों को वादग्रस्त आराजी का विक्रय करने हेतु अधिकृत किया गया था उसके अनुसार प्रार्थी के भाईयों ने अधिकार पत्र धारक की हैसियत से वादग्रस्त भूमि का विक्रय प्रार्थी की ओर से श्री शान्तिलाल को किया गया है तथा कब्जा सुपुद्र किया है। वादग्रस्त आराजी का मोके पर खातेदारान के मध्य विभाजन पूर्व मे हो चुका है तथा अप्रार्थी संख्या एक व दो को सडक की तरफ की आराजी पूर्व खातेदार देवाराम वगैरहा के हिस्से मे आने से उनके द्वारा विक्रय कर कब्जा

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 3

विभक्त आराजी का अप्रार्थी संख्या एक व दो को सुपुर्द किया है। अप्रार्ाी संख्या एक दो अपनी विभक्त आराजी, जो सडक पर स्थित है, पर तथा खरीद की गई आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हे। गलत तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी की नियत मे खोट आने के कारण कआराजी को पुनः विक्रय करने का प्रयास करने पर श्री शान्तिलाल माली ने अपने अधिवक्ता के जरिये अखबार मे विज्ञप्ति जारी की थी तथा किसी भी व्यक्ति को आराजी को खरीद करने से पाबंद किया गया था उसके बाद गलत तयिों के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वाद मे श्री शान्तिलाल माली आवश्यक पक्षकार हे, जिसे वाद मे पक्षकार नही बनाया है, जिससे वाद पक्षकारान के कुंसंयोजन के दोष से दुषित होने से वाद खारिज किये जाने योग्य होने से खारीज कराना फरमावें ।

आज दिनांक 30–6–2018 को विचारण प्रकरण की पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट पं.स.सिरोही के सभा भवन मे मेरे समक्ष पेश हुई । सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वकील श्री प्रकाश प्रजापत उपस्थित हुये । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वंय या इनके वकील कोई भी सुनवाई के दौरान हाजिर नही हुये । इस कारण प्रकरण मे विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 स्टेट तहसीलदार, सिरोही की अंतिम बहस सुनी गई । सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 स्टेट की ओर से तहसीलदार, सिरोही ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट विचारण प्रकरण मे फोरमल पक्षकार होने व राजहित प्रभावित नही होने से स्टेट की ओर से जवाब पेश करने की आवश्यकता नही होने से तहसीलदार, सिरोही के निवेदन पर अप्रार्थी संख्या 3 स्टेट का जवाब बंद किया गया ।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही प्रथम तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खाता नंबर 219 खसरा नंबर 152 रकबा 1.9200 हैक्टेयर किस्म बारानी I आई हुई है। वर्णित कृषि आराजी की खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त खातेदार के रूप मे दर्ज है जिसका समचित विवरण प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न जमाबंदी मे दर्ज है। वर्णित कृषि आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थी का 1/6 हक हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 का 5/6 हक हिस्सा स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 द्वारा खरीद किये गये हक हिस्से के पूर्व खातेदार आपस मे एक ही परिवार के सदस्यगण है इस प्रकार प्रार्थी की उक्त कृषि आराजी पुश्तैनी है तथा प्रार्थी का पेढीपत्रक निम्न प्रकार है:–

केसाजी पि. खुमाजी माली

स्व.ताराराम	प्रतापराम	स्व.हंसाजी	प्रेमाराम	चुन्नीलाल	शंकरलाल
1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

स्व.हंसाजी: फुलीबाई, देवाराम, धनराज, प्रकाश, मीठालाल उर्फ दौलतराम

स्व.ताराराम: चम्पा(पत्नि), भानाराम, लीला, रेखा, छोगाराम

उक्त वर्णित कृषि आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने प्रार्थी के अन्य सहखातेदार उनके भाई ताराराम, प्रतापराम, प्रेमाराम, चुन्नीलाल व स्व.हंसाजी के वारिसान

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 4

से उनके 5/6 हक हिस्से को प्रार्थी की सहमति के बिना जरिये विक्रय विलेख खरीद की है। वर्णित कृषि आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य संयुक्त व अविभक्त है जिसका आज तक कोई विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी व प्रार्थनापत्र पद संख्या 4 मे वर्णित सके भााई पूर्व मे आपसी समझ से उक्त कृषि आराजी पर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे थे एवं वादग्रस्त आराजी का संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक करते आ रहे थे, परन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा खरीद करने के बाद कुछ वर्षो तक तो शान्तिपूर्वक काश्त की परन्तु पिछले छः माह से आये दिन प्रार्थी के उक्त वादग्रस्त आराजी मे स्थित 1/6 हक हिस्से कब्जे काश्त मे दखल अंदाजी शुरू करने लगे तथा प्रार्थी के हक हिस्से मे बाधा उत्पन्न करने लगे है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 प्रार्थी के साथ आये दिन झगडा फसाद करने लगे है। जबकि प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त आराजी मे अपने बापदादाओं से प्राप्त पुश्तैनी संपति मे हक हिस्सा जिसकी मार्केट वैल्यू वर्तमान मे बढ जाने से अप्रार्थीगण के मन मे खोट आ गई है तथा प्रार्थी के 1/6 हक हिस्से कब्जे काश्त मे येनकेन प्रकारेण बाधा उत्पन्न कर हडपने पर उतारू है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार कृषक है एवं वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के मध्य संयुक्त व अविभक्त है इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है सुविधा का संतुलन भी रेकर्ड व मोके की यथास्थिति बनाये रखने मे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना फरमावें कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 एवं उनके नुमाईन्दे ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी के कब्जे काश्त हक हिस्से 1/6 मे दखलन्दाजी न करें व अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने व समस्त कृषि कार्य से बाधित न करें एवं विधिवत विभाजन कराये बगैर अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी मे उनके हक हिस्से के कब्जे काश्त मे किसी अन्य अजनबी क्रेता को विक्रय या हस्तान्तरण नही करें तथा ताफैसला वाद रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा आज ही जारी कराना फरमावें ।

आज विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 स्टेट तहसीलदार, सिरोही ने सुनवाई के दौरान हाजिर होकर विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस गंभीरता से सुनकर उस पर मनन किया तथा विचारण प्रकरण की पत्रावली के संलग्न प्रार्थी का प्रार्थनापत्र व जप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजात प्रतियों का भी गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर भी मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त कृषि आराजी की मौजा सिरोही प्रथम पटवार हल्का सिरोही की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 219 के खसरा नंबर 152 रकबा 1.9200 हेक्टेयर की आराजी संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है तथा प्रार्थी उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी का संयुक्त खातेदार कृषक है व सहकृषक है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब मे अंकित तथ्यों की सत्यता की पुष्टि मे जवाब के समर्थन मे कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे कि यह जाहिर होता हो कि प्रार्थी नने अपना हिस्सा श्री शान्तिलाल पुत्र श्री गणेशाजी माली निवासी नयाखेडा हाल सिरोही को दिनांक 12–10–2010 को विक्रय कर दिया था ,उसके बाद सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर आराजी का कब्जा श्री शान्तिलाल को सुपुर्द कर दिया था व मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है तथा न ही वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के भाईयों ने अधिकार पत्र धारक की हैसीयत से वादग्रस्त भूमि का विक्रय प्रार्थी की ओर से श्री शान्तिलाल को किया है उक्त अधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति भी पेश नही की है। उक्त सभी के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर प्रकरण की यह स्थिति सामने आई कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार कृषक है एवं वादग्रस्ि आराजी पक्षकारान के मध्य संयुक्त व अविभक्त है इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण सिद्व है। सुविधा का संतुलन भी मौके की यथास्थिति बनाये रखने मे है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विरूद्व

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 5

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बाबत प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जाता है कि मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही प्रथम तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित वादग्रस्त कृषि आराजी खाता नंबर 219 खसरा नंबर 152 रकबा 1.9200 हैक्टेयर किस्म बारानी I मे प्रार्थी के हक हिस्से 1/6 एक बटा छः मे प्रार्थी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें एवं प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने व समस्त कृषि कार्य करने से बाधित न करें । उपरोक्त निर्णय रा.लो.अ. केम्प कोर्ट पं.स.सिरोही के सभा भवन मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर-पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही